



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>  
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859  
फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 290 / SEIAA/2022

Date: 29/4/22

प्रति,

श्री राजा मोर आत्मज श्री विष्णु प्रसाद मोर,  
निवासी बस स्टेण्ड, सिहोरा,  
जिला जबलपुर (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्रमांक 6136/2019: परियोजना प्रस्तावक श्री राजा मोर आत्मज श्री विष्णु प्रसाद मोर, निवासी बस स्टेण्ड, सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), एरिया 3.450 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 45203 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 198 ग्राम मिढासन, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण श्री नरेन्द्र कुमार रजक आत्मज श्री बलदेव प्रसाद रजक, निवासी 578 नया 864, पुरानी मछरहाई, जिला जबलपुर (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।


प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 719 वी बैठक दिनांक 21.04.2022 को चर्चा किया गया एवं यह अभिलिखित किया गया .....

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 703वीं बैठक दिनांक 30.01.2022 में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज हस्तांतरण दिनांक 12.12.2019 के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण हेतु आवेदन 02 वर्ष के बाद विलम्ब से क्यों किया गया का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें एवं इस दौरान उक्त खनिज पट्टे में कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है का सत्यापन जिला खनिज अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित करें।

उपरोक्त निर्णय अनुसार परियोजना प्रस्तावक से चाही गई जानकारी आज दिनांक तक सिया कार्यालय मे आप्राप्त है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार आपके प्रकरण को Delist किया जाता है।


  
(श्रीमन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 291 /SEIAA/2022

दिनांक - 29/4/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला जबलपुर (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला जबलपुर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला जबलपुर (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

  
(आलोक नायक)  
उपमहानिदेशक